



प्रेस नोट

दिनांक 12.08.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चालाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.08.2025 को अभियुक्त शैलेन्द्र राजपूत पुत्र गिरजानन्दन राजपूत को नहरबाई पास जराखर रोड़ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बरामद किया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 371/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण

शैलेन्द्र राजपूत पुत्र गिरजानन्दन राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम लींगा थाना राठ जनपद हमीरपुर।
बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0558/2020 धारा 323, 325, 427, 452, 504 भा0द0स0 व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी एसएटी0 एक्ट थाना राठ
2. मु0अ0सं0 0562/2020 धारा 323, 504 भा0द0स0 व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी एसएटी0 एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित साहू
2. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार
3. का0 अंशुल सिंह

